इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 361] भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2023—अग्रहायण 13, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2023

क्रमांक एफ ए-3-42/2017/1/पांच(49) : मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-42/2017/1/पांच(53), भोपाल दिनांक 18 अक्टूबर 2017 मे और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:

इस अधिसूचना में, तालिका में,-

(1) क्रम संख्या 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3ख	अध्याय 99	इन माध्यमों से किसी सरकारी प्राधिकरण को प्रदान की जाने वाली सेवाएं- (क) जलापूर्ति; (ख) सार्वजनिक स्वास्थ्य; (ग) स्वच्छता संरक्षण; (घ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; और (ङ) मलिन बस्ती सुधार और उन्नयन।	शून्य	शून्य;"

(2) क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम (3) में,खंड (क) में, शब्दों डाक विभाग के पश्चात्, शब्दों और कोष्ठक "[और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)]" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(3) क्रम संख्या 7 के समक्ष,कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण में, खंड (क) में, उप-खंड (i) में, शब्दों "डाक विभाग" के पश्चात्, शब्दों और कोष्ठक "[और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)]" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(4) क्रम संख्या 8 के समक्ष,कॉलम (3) में, परंतुक में, खंड (i) में, शब्दों "डाक विभाग" के पश्चात्", शब्दों और कोष्ठक "[और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)]" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(5) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में, प्रथम परंतुक में, खंड (i) में, शब्दों "डाक विभाग" के पश्चात्", शब्दों और कोष्ठक "[और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)]" को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 अक्तूबर, 2023 से प्रवृत्त हुई मानी जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2023

क्रमांक एफ ए 3–42–2017–1–पांच.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3–42–2017–1–पांच (49), दिनांक 4 दिसम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 4th December 2023

No. F A-3-42/2017/1/V(49) : In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments to amend this department's Notification No. F A-3-42/2017/1/V(53) dated 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(1.) after serial number 3A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3B	Chapter 99	Services provided to a Governmental Authority by way of - (a) water supply; (b) public health; (c) sanitation conservancy; (d) solid waste management; and (e) slum improvement and upgradation.	Nil	Nil";

(2.) against serial number 6, in column (3),in item (a), after the words "Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;

(3.) against serial number 7,in column (3), in the Explanation, in item (a), in sub-item(i), after the words "Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)"shall be inserted;

(4.) against serial number 8,in column (3)in the proviso, in item (i), after the words "Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;

(5.) against serial number 9,in column (3),in the first proviso, in item (i), after the words "Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;

2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 20th day of October, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.